

# **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल**

**वर्ष 2014–15**



**मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
पंतनगर.(ऊधमसिंह नगर)–263 145**

**मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  
गोबिन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,  
पंतनगर, (ऊधमसिंह नगर) –263 145**

### **1. संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य**

भारतवर्ष में कृषि एवं ग्राम्य विकास को नई दिशा देने हेतु ग्रामीण औचल में एक कृषि विश्वविद्यालय की संकल्पना को साकार करने हेतु पंतनगर में वर्ष 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका की लैण्डग्रान्ट पद्धति पर आधारित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि एवं तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षण, शोध एवं प्रसार हेतु इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। शोध कार्य को बल देने हेतु विश्वविद्यालय में कृषि अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गयी। इस निदेशालय में वर्ष 1961 में अखिल भारतीय समन्यवित मक्का प्रजनन परियोजना के अंतर्गत फसल अनुसंधान केन्द्र पर परीक्षण प्रारम्भ किए गये। इसके पश्चात फसल अनुसंधान केन्द्र, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, माडल एग्रोनौमी सेन्टर, उद्यान अनुसंधान केन्द्र एवं पर्वतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई। समय के साथ-साथ अनुसंधान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अनेक दिशाओं में प्रगति की तथा आज निम्नलिखित आंतरिक एवं वाह्य अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अनेक दिशाओं में अनुसंधान की गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं:—

#### **आन्तरिक अनुसंधान केन्द्र**

- शैक्षणिक मत्स्य फार्म।
- मत्स्य बीज हैचरी।

इन 02 आन्तरिक अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से मत्स्य पालन एवं इससे सम्बन्धित सभी प्रमुख विषयों पर अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

#### **वाह्य अनुसंधान केन्द्र**

महाविद्यालय के पास कोई भी वाह्य अनुसंधान केन्द्र नहीं है।

#### **लक्ष्य / उद्देश्य**

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य मत्स्य विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं परास्नातक स्तर पर छात्र/छात्राओं का समुचित पठन पाठन एवं मत्स्य पालन विकास की प्रक्रिया में सहायता पहुँचाना तथा पर्वतीय क्षेत्र में समग्र मत्स्य विकास को बढ़ावा देने हेतु इसकी नई सम्भावनाओं की खोज करना है। इसके लिए अनुसंधान कार्यों का द्वुकाव मुख्य रूप से मत्स्य उत्पादन वृद्धि, मत्स्य उत्पादन का विविधिकरण एवं मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने की ओर केन्द्रित है। साथ ही साथ प्रदेश के किसानों को

उन्नत मत्स्य बीज तकनीकी की जानकारी प्रदान कराना तथा मत्स्य पालन से सम्बन्धित समस्याओं का समुचित उपाय करने पर भी ध्यान केन्द्रित है।

## **अधिदेश**

विभिन्न मछलियों की उन्नत प्रजातियों का विकास करना।

### **प्रशासनिक ढँचा**

महाविद्यालय के सभी शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यों का समन्वय अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।

### **आन्तरिक शोध केन्द्रों की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य विषिष्टियाँ**

- उच्च आनुवंशिक गुणों वाले विभिन्न मत्स्य प्रजातियों जैसे कतला, रोहू, नैन, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कामन कार्प, मागुर कार्प इत्यादि के प्रजनकों की समुचित मात्रा में उपलब्धता।
- समुचित मात्रा में उच्च गुणवत्ता के मत्स्य स्पान उत्पादन हेतु पर्याप्त हैचिन्ग कन्डीशनिंग, ब्रीडीन्चा, ओवर हेड तथा एन्टी टेंकों की उपलब्धता।
- मत्स्य प्रजनकों, अंगुलिकाओं तथा जीरों की गुणवत्ता युक्त पर्याप्त पैदावार तथा समुचित देख रेख हेतु लगभग 12.0 हेक्टेयर जल क्षेत्र में विभिन्न तालाबों जैसे प्रजनक तालाब (6), संचय तालाब (1), अधिपोषण तालाबा (15) तथा पोषण तालाब (8) की उपलब्धता।
- एक हेक्टैयर में छात्रों के शोध कार्य के लिए तालाब उपलब्ध।

### **कृत्य**

मीठे जल में पाली जाने वाली कार्प प्रजातियों जैसे कतला, रोहू, नैन, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कामन कार्प इत्यादि के गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करना तथा उनका पालन करना।

### **कर्तव्य**

गुणवत्ता कुक्त मत्स्य बीज पैदा करना तथा मत्स्य पालाके एवं विभिन्न संस्थानों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराना। पालन द्वारा उत्पादित मछली उपभोक्ता तथा अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराना।

## 2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

### अधिष्ठाता

अधिष्ठाता महाविद्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो महाविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण हेतु कुलपति के प्रति उत्तरदायी होता है, अधिष्ठाता की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्नानुसार है :—

- महाविद्यालय के सम्पूर्ण शैक्षणिक एवं अनुसंधान कार्यों को महाविद्यालय के संकाय सदस्यों के सहयोग से समन्वयित करना।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करना।
- महाविद्यालय से संबंधित अधिनियमों व अन्य नियमों के अनुपालन का उत्तरदायी होना।
- बिना किसी भेदभाव के सभी संकाय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देना तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान सलाहकार समिति के विचारार्थ नीतियों का निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण।
- महाविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन शैक्षणिक सलाहकार समिति एवं कुलपति को प्रस्तुत करना।
- महाविद्यालय के विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों के अनुसंधान कार्यों में प्रयोग हेतु कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना।
- विभिन्न संगोष्ठियों में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना।
- शैक्षणिक सलाहकार समिति के परामर्श पर महाविद्यालय का आय-व्ययक तैयार करना।
- महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों एवं शोध केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों के आकस्मिक व अन्य अवकाश स्वीकृत करना।

### सहायक निदेशक, शैक्षणिक मत्स्य फार्म/प्रभारी अधिकारी, मत्स्य बीज हैचरी

महाविद्यालय के आंतरिक अनुसंधान केन्द्रों पर तैनात सहायक निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी, मत्स्य बीज हैचरी सामान्यतः एक शैक्षिक स्तर का व्यक्ति होता है, जो अपने अनुसंधान केन्द्र के समस्त कार्यकलापों के संचालन हेतु अधिष्ठाता के प्रति उत्तरदायी होता है।

### सहायक निदेशक/प्रभारी अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्न है :—

- अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने अनुसंधान केन्द्र पर अनुसंधान की प्रगति एवं गुणवत्ता तथा प्रगति हेतु कार्य करना।
- केन्द्रों पर अनमोदित परीक्षणों के संचालन के लिए वैज्ञानिकों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना।
- केन्द्र पर उपलब्ध प्रयोगशालाओं/उपकरणों आदि के अनुसंधान कार्यों में प्रयोग हेतु अधिष्ठाता/ कुलपति के प्रति उत्तरदायी होना।
- केन्द्र के प्रभारी के रूप में कार्य करना।
- शोध केन्द्रों की कार्ययोजना के अनुरूप शोध केन्द्रों का वार्षिक कार्य की रूप रेखा तैयार करना।

- एवं उसका क्रियान्वयन करना।
- शोध केन्द्रों की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना।
- शोध केन्द्रों के उत्पाद का शासन के मत्स्य निदेशालय विभाग के सहयोग से तथा सीधे किसानों एवं काश्तकारों को वितरित करना।
- शोध केन्द्र का आय व्ययक तैयार करना।

## **संकाय सदस्य**

विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने संकाय के संबंधित विषयों में शिक्षण कार्य करने के अतिरिक्त उनके द्वारा चलाई जा रही शोध परियोजनाओं के संचालन आदि का कार्य, प्रसार का कार्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य किये जाते हैं।

## **शिक्षणेत्र कर्मचारी**

- पद/श्रेणी के अनुरूप निर्दिष्ट कार्य।
  - सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
3. लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक और अभिलेख की सूचना

महाविद्यालय के कार्य विश्वविद्यालय के अधिनियमों, नियमों एवं परिनियमों, के अनुरूप संचालित किये जाते हैं।

4. नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में छात्र/छात्रों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

शैक्षणिक सलाहकार समिति, महाविद्यालय के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने हेतु अधिकृत समिति है। इन नीतियों एवं दिशानिर्देशों की संस्तुति कुलपति महोदय/प्रबन्ध परिषद् द्वारा की जाती है।

5. दस्तावेज जो लोक प्रधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं। श्रेणियों के अनुसार विवरण

- वित्त एवं लेखा अभिलेख
- मानव संसाधन अभिलेख
- अनुसंधान परियोजना अभिलेख
- परिसम्पत्ति अभिलेख

6. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या बैठक के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

शैक्षणिक सलाहकार समिति की कार्यवाही एवं निर्णयों के अभिलेख विधिवत अनुरक्षित हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम व अन्य विशिष्टियां

अपीलीय अधिकारी : डा० आई० जे० सिंह

अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

पंतनगर (ऊधमसिंहनगर), ई.मेल. : deanfishgbpuat@gmail.com

दूरभाष नम्बर—05944—233377, 7500241418

जनसूचना अधिकारियों एवं सहायक जनसूचना अधिकारियों का विवरण संलग्नक—एक पर उपलब्ध है।

8. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षक एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय इस महाविद्यालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो महाविद्यालय से संबंधित निर्णय लेने तथा अनुसंधान केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा दिए गये प्रस्ताव/सलाह/निर्णय को अनुमोदित करता है।

9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विश्वविद्यालय सेवानियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादन करना।

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का निर्धारण, उत्तरांखण्ड शासन से जारी शासनादेशों पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी/माननीय प्रबन्ध परिषद् के अनुमोदन उपरान्त होता है। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन का विवरण संलग्नक—दो पर उपलब्ध है।

11. प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी परियोजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)

वित्त—नियंत्रक द्वारा बजट आवंटन एवं व्यय वर्ष (2014—15) का विवरण संलग्नक—तीन पर उपलब्ध है।

12. अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्यौरे सम्मिलित है

वित्त नियंत्रक इनकी देखरेख करते हैं।

13. रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण  
वित्त नियंत्रक इनकी देखरेख करते हैं।
14. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम शैक्षणिक सलाहकार समिति/ प्रबंध परिषद/उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित किए जाते हैं।

15. किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरा

महाविद्यालय से संबंधित सूचनाये महाविद्यालय में अनुरक्षित है तथा आवश्यकतानुसार सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध करायी जाती है। सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वैबसाइट [www.gbpuat.ac.in](http://www.gbpuat.ac.in) पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका विवरण

सूचनाएं प्रपत्रों, प्रकाशनों, दूरभाष, रेडियो एवं दूरदर्शन, व्यक्तिगत सम्पर्क, किसान मेला एवं गोष्ठी, प्रदर्शनयों इत्यादि के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वैबसाइट [www.gbpuat.ac.in](http://www.gbpuat.ac.in) पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

17. ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए

उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय के अधीन निम्न पांच विभाग स्थापित हैं:

- मात्स्यकी जीव विज्ञान विभाग
- मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विभाग
- जल—जीव पालन विभाग
- जलीय विज्ञान विभाग
- मात्स्की प्रसार एवं सामाजिक विज्ञान विभाग

**(आर0एन0राम)**

लोक सूचना अधिकारी/विभागाध्यक्ष  
मात्स्यकी जीव विज्ञान विभाग  
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  
गोविन्द बल्लभ पतं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
पतंनगर – 263145  
जिला – ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड  
मोबाईल नम्बर–05944–233372, 8475001522,

**(आई0 जे0 सिंह)**

अपीलीय अधिकारी/ अधिष्ठाता  
मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  
गोविन्द बल्लभ पतं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय  
पतंनगर – 263145  
जिला – ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड  
दूरभाष नम्बर—05944—233377, 7500241411

